न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 31/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भोलनाथ उर्फ भंवरनाथ पुत्र स्व. काननाथ जाति नाथ निवासी खोड़िया हाल निवासी केलवाद तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 2. पुखनाथ पुत्र काननाथ के वारिसान 2/1 पारसनाथ पुत्र पुखनाथ 2/2 कालूनाथ पुत्र पुखनाथ 2/3 मदननाथ पुत्र पुखनाथ जातिगण नाथ निवासीगण खोड़िया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 2/4 चम्पानाथ पुत्र पुखनाथ जाति नाथ निवासी नाथों की प्याउ, सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली। 2/5 सोहननाथ पुत्र पुखनाथ के का.मु. 2/5/1 शांतिदेवी पत्नी सोहननाथ 2/5/2 संगीता पुत्री सोहननाथ 2/5/3 अनिया पुत्री सोहननाथ जातिगण नाथ निवासी खोड़िया तहसील सोजत जिला पाली राज.। 3. मांगनाथ पुत्र काननाथ के का.मु. 3/1 धापुदेवी पत्नी मांगनाथ 3/2 प्रकाशनाथ पुत्र मांगनाथ 3/3 सीतादेवी पुत्री मांगनाथ 3/4 पिस्तादेवी पुत्री मांगनाथ जातिगण नाथ निवासीगण खोडिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री भगवती प्रसाद, श्री अर्जुन चौहान अधिवक्तागण प्रति0 स्वयं उपस्थित।

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.))

–: निर्णय :– दिनांक 18/3/24

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खोड़िया पटवार हल्का खोड़िया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 135 के खसरा नंबर 11 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 19 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 23 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.7000

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

क्टर, खसरा नंबर 29 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 31 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 1.9100 हैक्टर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 9 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल खसरा 21 कुल रकबा 11.4800 हैक्टर की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता/पति मांगनाथ व पुखनाथ व अन्य सहखातेदारान की आयी हुई स्थित है, जिसमें से मांगनाथ व पुखनाथ का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी/वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 से 3/4 है।

2. वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सेटलमेंट पूर्व के पुराने खसरा नंबर 300, 304 रकबा 73 बीघा 3 बिस्वा से मिलकर बने है, जो कि प्रस्तुत सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान से स्पष्ट है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 300 व 304 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 अनुसार देवा वल्द शेरा व काना वल्द गंगा बहिस्सा बराबर खातेदार इन्द्राज सुदा था, अर्थात् वादी के पिता स्वर्गीय कानाराम पुत्र गंगाराम जी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का निहित था तथा शेष 1/2 हक हिस्सा अन्य सहखातेदारान के पिता/पूर्वजों व उनके नाम दर्ज सुदा है। तत्पश्चात देवा वल्द शेरा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी / वारिसान जगननाथ, चुननाथ, सुगननाथ, खीवनाथ, बद्रीनाथ, मोहननाथ, भगवाननाथ पीसरान देवनाथ जातियान रावल का 1/2 हिस्सा एवं वादी के पिता काना वल्द गंगा का स्वर्गवास हो जाने से उनके वैध उत्तराधिकारी / वारिस पुखनाथ, मांगनाथ व वादी भोलनाथ का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 60 के इन्द्राज किया गया, जो नामान्तरण ग्राम पंचायत खोड़िया के सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया, तब से वादी का नाम वादस्थ कृषि भूमि में बहैसियत खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

3. वादी के पिता स्वर्गीय काना वल्द गंगा के उत्तराधिकारी / वारिसान में पुखनाथ व मांगनाथ का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी / वारिसान प्रतिवादी पक्षकार संयोजित है, वादस्थ भूमि पर काननाथ के हक हिस्से में 1/3 हक हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अडचन के शांतिपूर्वक चला आया है तथा सेटलमेंट पश्चात से लगातार राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2046—49, 2055—58, 2059—62, 2063—66, 2067—2070, 2071—74 तथा 2075—78 तक के राजस्व रेकर्ड में वादी का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज चला आया है, जिससे भी यह बखूबी स्पष्ट है कि वादी का वादस्थ कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का निहित हो चुका था। लेकिन वर्तमान में जो कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया में फिडिंग करते समय त्रुटिवश वादी भंवरनाथ उर्फ भोलनाथ का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध रूप से हटाया गया है। उससे पूर्व की तमाम जमाबंदीयों में वादी का नाम बहैसियत खातेदार इन्द्राज चला आया है तथा वादी का मौके पर आज भी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है, राजस्व कर्मचारियों को ऑन लाईन फिडिंग में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड से डिलिट करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, और न ही, राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, मात्र राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भाविक त्रुटिवश वादी का नाम इन्द्राज करना शेष रह गया है।

4 बिनायदावा वादस्थ भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी होने से एवं वादी के पिता काना वल्द गंगा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से तत्पश्चात लगातार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2046—49, 2055—58, 2059—62, 2063—66, 2067—2070, 2071—74 तथा 2075—78

क दर्ज चला होने से, तथा वर्तमान राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया के तहत फिडिंग करते समय वादी का नाम त्रुटिवश दर्ज नही करने से तथा वादी द्वारा दिनांक 15/12/2021 को ऋण हेतु आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने की जानकारी होने व वादी द्वारा वादस्थ भूमि से संबंधित तमाम दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 16/12/2021, 21/12/2021, 29/12/2021 को प्राप्त करने पर दिनांक 06/01/2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 को उक्त दुरूस्ती कर वादी का इन्द्राज करने हेतु निवेदन करने से, इन्कार हो जाने से बमुकाम खोड़िया उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम खोड़िया तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वादी का वाद रेकर्ड दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का होने उक्त वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोड़िया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 135 के खसरा नंबर 11 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 19 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 23 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 29 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 31 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 1.9100 हैक्टर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 9 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल खसरा 21 कुल रकबा 11.4800 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश वादी का नाम ऑन लाईन फिडिंग करते समय हटा दिया, जिस त्रुटि को पुनः दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की है।

5. इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 2/2 कालूनाथ पुत्र स्व. पुखनाथ, प्रतिवादी संख्या 2/4 चम्पानाथ पुत्र पुखनाथ, प्रतिवादी संख्या 3/1 धापुदेवी पत्नी मांगनाथ, 3/2 प्रकाशनाथ पुत्र मांगनाथ, 3/4 पिस्तादेवी पुत्री मांगनाथ व प्रतिवादी संख्या 2/5/1 शांतिदेवी पत्नी स्व. सोहननाथ, 2/5/2, व 2/5/3, की कुदरती वलि माता प्रतिवादी संख्या 2/5/1 शांतिदेवी पत्नी स्व. सोहननाथ, प्रतिवादी संख्या 2/1 पारसनाथ पुत्र पुखनाथ, प्रतिवादी संख्या 2/3 मदननाथ पुत्र पुखनाथ, प्रतिवादी संख्या 3/3 सीतादेवी पुत्री मांगीनाथ की ओर से ईकबालिया जवाबदावा पेश कर माफिक ईश्तदुआ वादी खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की ईश्तुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोडिया में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 03 में वर्णित तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा संख्या 04 से 09 के वर्णित तथ्यों को कानूनी बताया है।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी शहादत वादी पेश नही करना चाहने से शहादत वादी आज बन्द की जाती है। अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी भी आज बन्द की जाती है।

7. बहस वकुलाय सूनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा खोड़िया पटवार हल्का खोड़िया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 135 के खसरा नंबर 11 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 19 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 23 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 29 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 31 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 1.9100 हैक्टर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 9 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल खसरा 21 कुल रकबा 11.4800 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश ऑनलाईन फिडिंग करते समय हटा दिया, जिस त्रुटि को पुनः दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी एवं तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

8. अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता मय वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा मिलान , प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2043 – 46, नामान्तरकरण संख्या 60 की प्रमाणित प्रति, जमाबदी 2047 से 50, 2059–62, 2055–58, 2059–62, 2051–54, 2067–70, 2071–74, 2063 से 66, 2075 से 78 पेश किए जो सा0मि0 हो।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र ईकबालिया जबाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेज, का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 60 में देवा शेरा काना, पुत्र गंगा कौम रावल में कानाराम फौत होने से कानाराम के विधिक वारिसान में वादी का नाम दर्ज कर भोलनाथ पुत्र काना रावल दर्ज किया गया है तथा जमाबन्दी सम्वत 2047 से 50, 2059–62, 2055–58, 2059–62, 2051–54, 2063 से 66, 2067–70, 2071–74, तक वादी का नाम बतोर खातेदार भवरनाथ पुत्र काननाथ 1/6 दर्ज सुदा है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 में वादी का नाम भंवरनाथ एवं काननाथ 1/ 6 राजस्व रेकर्ड में हटा दिया गया। जिससे वादी के वाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हैं लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर वादी भोलनाथ पुत्र काननाथ को वादस्थ कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

10. अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। डिर्की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

क सरहद मौजा खोडिया के खसरा नंबर 11 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 19 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 23 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 29 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 31 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 1.9100 हैक्टर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 9 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल खसरा 21 कुल रकबा 11.4800 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी भोलनाथ पुत्र काननाथ कौम रावल को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमतला चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमतला चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)